न्यायालय अपील अधिकारण (जिलामजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– डॉ.रविकुमार सुरपुर, आई.ए.एस.

भरण पोषण अधि. अपील संख्या : 10/2017

अपीलार्थी **बनाम** **प्रत्यर्थीगण**

1– श्रीमती कमलेश शर्मा पत्नी ओमप्रकाश
2– मुस्कान पुत्री ओमप्रकाश शर्मा
3– अर्पित पुत्र ओमप्रकाश शर्मा
पक्षकार सं. 2,3 नाबालिक कुदरती वलिया माता श्रीमती कमलेश शर्मा निवासी 73, शंकरनगर, सांगरिया फांटा, जोधपुर।

1– रामसेवक शर्मा पुत्र श्री रामप्रसाद शर्मा
2– श्रीमती राधा देवी पत्नी रामसेवक शर्मा, निवासी 23, शंकर नगर, सांगरिया फांटा जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 26.07.17 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) द्वारा प्रकरण सं0 56/16 में पारित किया गया।

उपस्थितिः– निर्णय दिनांक 22.11.2017

1– अपीलार्थीपक्ष अनुस्थित
2– प्रत्यर्थी सं0–1 स्वय

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23 के तहत पेश करते हुए मकान नं. 73, शंकर नग, सांगरिया फांटा जोधपुर में बने ठावों से अप्रार्थी/अपीलार्थी के कब्जे में है, को खाली कराने के लिए उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर के समक्ष पेश हुआ। उपखण्ड अधिकरण जोधपुर द्वारा प्रार्थीगण/प्रत्यर्थी का प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.07.2017 को स्वीकार करते हुए 2000/–रूपये प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता देने एवं एक माह में अप्रार्थीगण को मकान खाली करने का आदेश दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील पेश की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गया तथा अधिनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख भी मंगवाया गया। मूल अभिलेख

अपील का निर्णय करने के लिए आज पेशी पर ली गई।

अपीलार्थीया ने अपील में बतलाया कि प्रत्यर्थीगण, अपीलार्थीया के सास–सुसुर है। अपीलार्थी मात्र हस्ताक्षर करती है पढना लिखना नहीं जानती है। पुलिस द्वारा उसके पास एक नोटिस पर हस्ताक्षर करवा कर ले गये तथा नोटिस की प्रति नहीं दी गई और अपीलार्थी सं.–एक के पति द्वारा उक्त नोटिस प्राप्ति किया गया उसके बाद पति द्वारा प्रार्थना–पत्र का जबाब दिया गया। आगे बतलाया कि दिनांक 02.10.17 को उक्त रहवासीय मकान से खाली करने के लिए बासनी के पुलिस अधिकारियें द्वारा आकर बतलाया गया कि इस मकान को खाली कर अन्यत्र रहना होगा, यह न्यायालय का आदेश है तब अपने अधिवक्ता के मार्फत सम्पूर्ण प्रार्थना–पत्र की पत्रावली का नकल प्राप्त की, तब पता चला। अपीलार्थी को अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा प्रत्यर्थीगण के मात्र कपोल कल्पित बयानों के आधार पर व अपीलार्थी–1 के पति द्वारा बिना वजह जबाब मुझ अपीलार्थी की ओर से भी प्रस्तुत किया गया। मेरे पति द्वारा प्रस्तुत जबाब में मात्र मेरे पति ओमकार के हस्ताक्षर ही है, मेरे हस्ताक्षर नहीं है। अपील में आगे यह भी कहा कि अपीलार्थी–1 का पति ओमकार शर्मा पिछले तीन वर्षो से मेरे सामलाती रहवासीय घर पर नहीं आता है तथा किसी अन्य औरत के साथ रहता है जिसकी जानकारी मेरे सास सुसुर सबको है। सास सुसुर की सेवा करती हूँ किसी प्रकार की अभद्रता नहीं करती हूँ। लोगों के घरों में खाना बनाने, झाडू पोचा करने जाती हूँ। अपील में यह भी बतलाया कि मेरे पति के साथ मिलकर मुझे घर से बेदखल करने हेतु उक्त भरण पोषण अधिनियम का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विवादग्रस्त मकान संयुक्त आय से खरीदा गया इसलिए उक्त सम्पति सभी की सामलाती शेयर होल्डर सम्पति होने से उसको भी रहने का अधिकार है। अन्त में अपील निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

प्रत्यर्थीपक्ष ने लिखित बहस में बतलाया कि धारा 16(1), माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत अपील केवल वरिष्ठ नागरिक या माता पिता द्वारा करने का प्रावधान है, अन्य को नहीं। अतः प्रथमतया यह अपील पोषणीय नहीं है अतः अपीलार्थी पुत्रवधु होने से यह अपील पेश नहीं कर सकती। अपील पेश करने की मियाद 60 दिन है इस कारण भी मियाद बाहर होने से यह अपील चलने योग्य नहीं है। बहस में आगे बतलाया कि प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी–एक को कई बार समझाने के बावजूद उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। प्रत्यर्थीगण का पुत्र जो अपीलार्थी–एक का पति है उससे परेशान होकर घर छोड़कर जा चुका है। अपीलार्थी सं. 1 के चाल चलन संदिग्ध गतिविधियों की ओर इस हद तक बढ गए है कि अपीलार्थी–1 के चरित्र को लेकर समाचार पत्रों में भी खबरे प्रकाशित होने लग गई है। प्रत्यर्थीगण के द्वारा स्वअर्जित आय से केशरसिंह पुत्र लादुसिंह से यह जायदाद मकान खरीद किया गया है जिसका उपयोग उपभोग करने का एक मात्र अधिकार प्रत्यर्थीगण को ही है। अन्त में अपील निरस्त

तथ्य यह है कि अधिनियम की 16(1) के तहत यह अपील पोषणीय है या नहीं, देखना है। 16(धारा 1) के अनुसार अपीलें :–

Any senior citizen or a parent, as the cash may be, aggrieved by an order of a Tribunal may, within sixty days from the date of the order, prefer an appeal to the Appellant Tribunal;

provided that on appeal, the children or relative who is required to pay any amount in terms of such maintenanse order shall continue to pay to such parent the amount so ordered, in the manner directed by the Appellate Tribunal:

उपरोक्त कथन से स्पष्ट होता है कि माता–पिता या वरिष्ठ नागरिक ही अधिकरण के किसी आदेश के विरूद्ध अपील दायर कर सकता है। प्रस्तुत अपील कमलेश शर्मा जो प्रत्यर्थीगण की पुत्रवधु द्वारा पेश की गई अतः अपील अधिकरण के समक्ष यह अपील पोषणीय नहीं है। अपीलार्थीपक्ष उपखण्ड अधिकरण के आदेश से किसी प्रकार से व्यथित है तो उसे विधिक प्रावधानों के तहत अधिकरण के समक्ष रिव्यू या सक्षम न्यायालय में चाराजोई कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। परिणामस्वरूप यह अपील पोषणीय नहीं होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति मय मूल अभिलेख अधीनस्थ अधिकरण को पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।